छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
(वित्त आयोग प्रकोष्ठ)
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर

———00———

छत्तीसगढ़ राज्य के चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2025–30 के लिए दिये गये प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–झ के खण्ड (1) सहपठित यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के अंतर्गत चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन दिनांक 29 जुलाई, 2021 को वर्ष 2025–30 की अवधि के लिए राज्य की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा निम्नांकित विषयों/सिद्धांतों पर सिफारिश देने के लिए किया गया थाः–

(क) निम्नलिखित को शासित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में :–

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य तथा पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं (जैसी भी स्थिति हो) के मध्य वितरण जो संविधान के भाग 9 और 9 क के अधीन उनमें विभाजित किए जायें को तथा सभी स्तरों पर पंचायतों और नगरपालिकाओं (जैसी भी स्थिति हो), के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को;

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी; और

(तीन) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान।

(ख) पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों और अनुशंसाएं करने सहित निम्नलिखित के संबंध में :–

(एक) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा संग्रहित कर एवं करेतर राजस्व व्यवस्था के युक्तियुक्तकरण, और संसाधन सृजित करने की नवीन संभावनाओं को चिन्हांकित

करने, विशेषतः ऐसे निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर उपयोगकर्ता प्रभार उद्गृहित करने, ताकि संचालन एवं संधारण व्यय की पूर्ति हो सके;

(दो) स्थानीय शासन के द्वारा वित्तीय संस्थाओं एवं बाजार ऋण लेने की संभावना, एवं इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था;

(तीन) स्थानीय शासन की वित्तीय प्रबंधन की क्षमता का विकास;

(चार) स्थानीय शासन के राजकोषीय निष्पादन के अनुश्रवण को सुधारने;

(पांच) राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने; और

(छः) स्थानीय शासनों द्वारा व्यय में मितव्ययता और दक्षता हासिल करने।

(ग) स्थानीय शासन के स्वामित्व एवं उन्हें स्थानांतरित आस्तियों के संधारण की लागत को राज्य, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के मध्य बांटने की आवश्यकता;

(घ) नगरीय स्थानीय निकायों के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक–निजी भागीदारी की संभावनाएं।

2/ चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा 1 अपैल, 2025 से प्रारंभ होने वाली 5 (पॉच) वर्ष की कालावधि के लिए अपना प्रतिवेदन 31 जुलाई, 2023 तक उपलब्ध कराना अपेक्षित था, किन्तु आयोग के अनुरोध पर आयोग का प्रथम कार्यकाल वृद्धि 31 अक्टूबर, 2023 तथा द्वितीय कार्यकाल वृद्धि 31 जनवरी, 2024 तक के लिए की गई। आयोग द्वारा 14 फरवरी, 2024 में अपनी अनुशंसाओं का प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल महोदय को सौपा गया।

3/ राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार तृतीय राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 31 मार्च, 2025 (पांच वर्ष) के स्थान पर मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित करते हुए चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के लिए 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि 2026 से 2031 तक के लिये मान्य किया गया है।

4/ चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की "अनुशंसाओं का सारांश" प्रतिवेदन के पृष्ठों (207) से (214) पर दर्शाया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट–1 पर अवलोकनीय है।

21/1/25

वित्त मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12/01/2025

प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्र.	प्रतिवेदन कंडिका क्र.	आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश)	राज्य शासन का निर्णय
(1)	(2)	(3)	(4)
1	3.31	आयोग अनुशंसा करती है कि,"राज्य वित्त आयोग केप्रतिवेदन एवं अनुशंसाओं पर समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु, वित्त विभाग के अंतर्गत गठित राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ में वरिष्ठ अधिकारी को पदस्थ करते हुये कृत कार्यवाही प्रतिवेदन तैयार करने तथा कृत कार्यवाही प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही के नियमित अनुश्रवण का कार्य प्रकोष्ठ के दायित्वों में शामिल किया जाये।"	आयोग की अनुशंसा से सहमत। पूर्व से ही इसका पालन किया जा रहा है। वित्त आयोग प्रकोष्ठ में उप सचिव को पदस्थ किया गया है एवं प्रकोष्ठ द्वारा अनुश्रवण के लिए अधिकृत किया जायेगा।
2	3.33	राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि,"वित्त विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग की वेबसाइट को आगामी राज्य वित्त आयोग के गठन तक यथोचित तरीके से वर्तमान स्वरूप में सुरक्षित रखे जिससे कि छ.ग. राज्य वित्त आयोग संबंधी जानकारी अन्य राज्य वित्त आयोगों एवं आम शोधार्थियों के लिये आसानी से उपलब्ध रहे। यह कार्य वित्त विभाग में गठित राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ को सौंपा जाये।"	आयोग की अनुशंसा से सहमत। अनुशंसाएं एवं कृत कार्यवाही प्रतिवेदन (ATR) वेब साईट sfc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।
3	3.34	राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि,"राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन पर संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही का अनुश्रवण करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास, राजस्व, खनिज एवं खनिकर्म तथा वणिज्यिक कर विभाग के सचिवों की समिति गठित की जाये। वित्त विभाग के अंतर्गत गठित 'राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ' के प्रभारी अधिकारी को इस समिति का सदस्य सचिव बनाया जाये।	आयोग की अनुशंसा से सहमत। बैठक की अध्यक्षता हेतु मुख्य सचिव से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
4	3.35	आयोग अनुशंसा करती है कि "विधानसभा की "स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति" अन्य विषयों के साथ 'राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर प्रस्तुत कृत कार्यवाही प्रतिवेदन के क्रियान्वयन का भी अनुश्रवण करे।	आयोग की अनुशंसा से असहमत।
5	5.18	आयोग की अनुशंसा है कि"संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित 29 विषयों से संबंधित कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को न्यागमन(Devolution) करने के लिये आवश्यक है कि, सर्वप्रथम, कोष, कार्य और कार्मिकों (Fund, Function, Functioanries-FFF) को सम्मिलित करते हुये विभाग वार विस्तृत कार्यकलाप चित्रण (Activity Maping)किया जाये।	इस संबंध में संबंधित विभागों से जानकारी एकत्र करने हेतु भारसाधक सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में बैठक किया जाना है।
6	5.19	आयोग की अनुशंसा है कि "अनुशंसा 5.18 अनुसार कार्यकलाप चित्रण में कोष, कार्यों और कार्मिकों के पंचायती राज संस्थाओं को न्यागमन किये जाने हेतु पहचान करने के पश्चात्, उसमें से न्यूनतम कोष, कार्यों और कार्मिकों के न्यागमन से प्रक्रिया प्रारंभ की जाये। न्यागमन किये जाने वाले कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिये तथा कोष के साथ विधि सम्मत आदेश/अधिसूचना द्वारा, कार्यों से संबंधित कर्मचारियों का पूर्ण नियंत्रण पंचायतों को दिया जाना संभव न हो तो, प्रारंभ में, आंशिक नियंत्रण पंचायतों को अवश्य सौंपा जाये।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अनुशंसा से सहमत। (आयोग की अनुशंसा से विभाग सहमत है। संबंधित विभागों द्वारा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार कार्यकलाप चित्रण में कोष, कार्यों और कार्मिकों का न्यागमन किये जाने हेतु पहचान करते हुये न्यागमन किये जाने वाले कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये, कोष न्यागमन एवं

परिशिष्ट–1

प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्र.	प्रतिवेदन कंडिका क्र.	आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश)	राज्य शासन का निर्णय
(1)	(2)	(3)	(4)
			उपयोग के संबंध में स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित किया जाना चाहिये एवं संबंधित कर्मचारियों का पूर्ण नियंत्रण पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाना चाहिये। उक्त समस्त न्यागमन विधि सम्मत आदेश/ अधिसूचना द्वारा एवं चरणबद्ध तरीके से किया जाना अनिवार्य होगा। शुरूआत में आंशिक नियंत्रण पचांयतों को सौंपा जा सकता है। उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु भारसाधक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में समय–समय पर बैठक आयोजित करते हुये समीक्षा किया जाना आवश्यक होगा।)
7	7.55	प्रदेश के पंचायत क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं में शौचालय की उपलब्धता संतोषजनक है, तथा जल–जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल योजना प्रगति पर है। पक्की सड़क, नाली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सेवाओं में अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। इन सेवाओं में मांग और उपलब्धता के बीच अन्तरालों का उल्लेख संबंधित बिन्दुओं पर किया गया है। आयोग इन अन्तरालों की पूर्ति करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने की अनुशंसा करती है। इसके लिए वित्त व्यवस्था की अनुशंसा अध्याय 12 में की गई है।	पूर्व से ही Gram Panchayat Development Plan (GPDP) ग्राम पंचायतो द्वारा बनायी जा रही है। अतः कार्ययोजना बनाने की अनुशंसा से सहमत।
8	8.6	आयोग अनुशंसा करती है कि, "राज्य के बजट पत्र में लोक लेखा के आरक्षित निधि के अंतर्गत, भू–राजस्व उपकर तथा पंजीयन शुल्क में उपलब्ध 181.53 करोड़ रू. तथा ग्रामीण विकास निधि में उपलब्ध 30 करोड़ रू. को पंचायतों को उपलब्ध कराने हेतु आगामी बजट में प्रावधान किया जाए तथा ये राशियाँ भविष्य में नियमित रूप से पंचायतों को प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाए"।	प्रस्तावानुसार नवीन सेगमेंट कोड खोलकर उचित प्रावधान करते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए विमुक्त करने पर सहमत।
9	8.8	आयोग यह अनुशंसा करती है कि वर्ष 2010 से आबकारी शुल्क पर स्थानीय निकायों हेतु 10 प्रतिशत लगाये गये अधिभार की गणना कर शासन अपने संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्थानीय निकायों को अवशेष राशि का वितरण किया जाए तथा आगामी बजट में इसके नियमित भुगतान हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान किये जायें।	आयोग की अनुशंसा अमान्य।
10	8.30	ग्राम पंचायत अनिवार्य कर एवं फीस नियम, 1996 में निर्धारित दरों के आधार पर ग्राम पंचायतों द्वारा कर अथवा फीस अधिरोपित किया जा रहा है। वर्तमान में आयोग द्वारा एकत्रित समंक के आधार पर ग्राम पंचायतों का स्वयँ के स्रोतों से	आयोग की अनुशंसा से सहमत।

प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्र.	प्रतिवेदन कंडिका क्र.	आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश)	राज्य शासन का निर्णय
(1)	(2)	(3)	(4)
		अनुमानित आय 159.45 करोड़ रू. प्रतिवर्ष है। ग्राम पंचायतों के वित्तीय प्राप्तियों में स्वयँ के राजस्व का योगदान मात्र 03 प्रतिशत है, जिसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है, इस हेतु आयोग की निम्नलिखित अनुसंशाएँ हैं – 1. पंचायतों के जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक कर्मियों द्वारा नागरिकों से कर अदायगी के संबंध में सतत् विमर्श कर जागरूकता लाने के प्रयास किये जायें। 2. ग्राम पंचायत अनिवार्य कर एवं फीस नियम, 1996 में निर्धारित कर दरों के पुनरीक्षण पर विचार किया जाए तथा कर दरों में वृद्धि और आवश्यकतानुरूप युक्तियुक्तकरण की अनुकूलतम संभावनाओं की तलाश किया जाए। 3. ग्राम पंचायत अनिवार्य कर एवं फीस नियम, 1996 में दरों का निर्धारण न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के आधार पर किया गया है, जिसके आधार पर ग्राम पंचायतें विहित प्रक्रिया के अंतर्गत करारोपण की राशि निर्धारित करती हैं, तत्पश्चात् निर्धारित कर अथवा फीस अधिरोपित करती हैं। राज्य में 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा कर अथवा फीस का अधिरोपण ही नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्त नियम में यह प्रावधान किया जाए कि "यदि ग्राम पंचायत द्वारा कर अथवा फीस की दर का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो नियम में उल्लेखित न्यूनतम कर अथवा फीस की दर स्वयमेव अधिरोपित होगी, तथा इसकी वसूली अनिवार्य होगी," का नियम में प्रावधान करने पर विचार किया जाए।	
11	8.56	ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं में मार्च 2022 में 14,559 करोड़ का अंतिम शेष अनुमानित है। ग्राम पंचायतों से प्राप्त समंक के अनुसार गैर कर राजस्व आय में, ब्याज से प्राप्त राशि का योगदान लगभग 50 प्रतिशत है। अतः आयोग की अनुशंसा है कि "पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त ब्याज राशि के व्यय करने हेतु नियम बनाये जाएं"।	अनुशंसा मान्य करने पर लेखा संधारण में विसंगति होगी। अतः केन्द्र और राज्य के अनुदान के राशि से प्राप्त ब्याज की राशि को चालान से कोषालय में जमा करने का निर्देश देना उचित होगा। अतः आयोग के अनुशंसा से असहमत।
12	8.59	पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन एवं लेखा संधारण मानक स्तर पर नहीं है, जिसके कारण सुसंगत आंकड़े प्राप्त नही होते हैं, अतः आयोग की अनुशंसा है कि "पंचायत संस्थाओं में बजट तथा लेखांकन के वर्गीकरण हेतु शासन द्वारा नियम बनाए जायें, जिसमें लेखांकन के वर्गीकरण की विधि, शासन के लिए बनाए गये वर्गीकरण के अनुरूप हो"। इस हेतु शासन द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जिसमें महालेखाकार, वित्त विभाग, संचालक–राज्य संपरीक्षा तथा पंचायत विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित हों।	आयोग की अनुशंसा से सहमत।
13	8.60	पंचायतों में बजट तथा लेखांकन के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जाए, जिससे लेखा एवं लेखा संधारण में एकरूपता, गुणवत्ता, शुद्धता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और नीति निर्धारण हेतु विश्वसनीय समंक प्राप्त किया जा सके।	भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्मित ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर राज्य की योजनाओं को भी ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर किए जाने हेतु सहमत।

प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्र.	प्रतिवेदन कंडिका क्र.	आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश)	राज्य शासन का निर्णय
(1)	(2)	(3)	(4)
14	8.74	आयोग की अनुशंसा है कि "ग्राम पंचायतों की संख्या सीमित करने पर विचार किया जाए तथा ग्राम पंचायतों का पुर्नगठन, जनसंख्या और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर किया जाए। पेसा (PESA) तथा गैर पेसा ग्राम पंचायतों के लिए जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन हेतु भिन्न–भिन्न सीमायें निर्धारित किया जाना उचित होगा।"	ग्राम पंचायतों का संख्या सीमित करना व्यवहारिक प्रतीत नही होता है। स्थानीय परिस्थितियो के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन करना या न करना एक सतत् प्रक्रिया है । जिसके लिए राज्य शासन निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। पेसा (PESA) तथा गैर पेसा ग्राम पंचायतों के लिए जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन हेतु भिन्न–भिन्न सीमायें निर्धारित किए जाने संबंधी अनुशंसा से सहमत।
15	9.27	आयोग की अनुशंसा है कि " नगरीय निकाय क्षेत्रों में मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के लिए निर्धारित संकेतकों अथवा स्तरांकों में विद्यमान पूर्ति अन्तराल के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर कार्य किए जायें", इन अन्तरालों के लिए वित्तीय व्यवस्था की अनुशंसाएँ अध्याय 12 में की गई हैं।	आयोग की अनुशंसा से सहमत। "नगरीय निकाय क्षेत्रों में मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के लिए निर्धारित संकेतकों अथवा स्तरांकों में विद्यमान पूर्ति अन्तराल के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाना एवं इसके लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना नगरीय निकायों की जिम्मेदारी होगी।
16	9.82	आयोग की अनुशंसा है कि "स्थानीय निकायों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमित रूप से, प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए"।	आयोग की अनुशंसा से सहमत।
17	10.12	आयोग अनुशंसा करती है कि "राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित वितरण सूत्र तथा उस पर शासन द्वारा दी गई सहमति, अथवा यथोचित संशोधनों या परिवर्तनों के साथ सहमति, के अनुरूप, नगरीय निकायों के मध्य राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाये"।	सैद्धांतिक रूप से आयोग की अनुशंसा से सहमत। परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने हेतु राज्य शासन सक्षम।
18	10.13	छत्तीसगढ़ नगर पालिका नगर विकास निधि में मार्च, 2022 की स्थिति में 966.10 करोड़ रू अंतिम शेष था, यह नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु शासन से प्राप्त राशि है, अतः आयोग की अनुशंसा है कि "नगरीय निधि में नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु प्राप्त राशि का 15 दिनों के अंदर संबंधित निकायों को हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाये, तथा इसका उत्तरदायित्व नगर प्रशासन एवं विकास संचालनालय को दिया जाये"।	नगरीय निकायों के प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर कार्यो की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत कार्यो के लिये कार्य के भौतिक प्रगति के आधार पर एवं निकायों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार किश्तों में राशि का आबंटन किया जाता है। अतः उक्त कारणों से वित्तीय वर्ष समाप्ति पर शेष राशि प्रगतिरत कार्यो के देनदारी की

प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्र.	प्रतिवेदन कंडिका क्र.	आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश)	राज्य शासन का निर्णय
(1)	(2)	(3)	(4)
			राशि होती है। स्वीकृति उपरांत आबंटन जारी किया जाता है और बकाया शेष राशि का पूर्ण व्यय किया जाता है। अतः इस आधार पर आयोग के अनुसंशा से सैद्धान्तिक दृष्टि से सहमत।
19	10.32	प्रदेश के सभी नगरीय निकायों का स्थापना व्यय, स्वयँ के राजस्व का लगभग 97 प्रतिशत है, अतः आयोग की अनुशंसा है कि "स्थापना व्यय की समीक्षा कर उसमें कमी किया जाए"।	आयोग की अनुशंसा से सहमत।
20	10.35	आयोग की अनुशंसा है कि "नगरीय निकायों में लेखा संधारण का कार्य पुनः संस्थागत किया जाए, इस हेतु समयावधि निर्धारित किया जाए तथा इस हेतु अधिकारियों–कर्मचारियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए"।	मानव संसाधन की उपलब्धता के आधार पर शासन द्वारा यथा समय निर्णय लिया जायेगा। आयोग की अनुशंसा से आंशिक रूप से सहमत।
21	10.36	नगरीय निकायों में बजट एवं लेखांकन के वर्गीकरण हेतु शासन द्वारा नियम बनाये जाने की आवश्यकता है। आयोग की अनुशंसा है कि "नगरीय निकायों के लिए लेखांकन के वर्गीकरण की विधि बनायी जाए, जिसमें लेखांकन के वर्गीकरण की विधि, शासन के लिए बनाये गये वर्गीकरण के अनुरूप हो"। इस हेतु शासन द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जिसमें महालेखाकार, वित्त विभाग, संचालक–राज्य संपरीक्षा तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित हों।	आयोग की अनुशंसा से सहमत।
22	10.37	प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में बजट तथा लेखांकन के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जाए, जिससे लेखा एवं लेखा संधारण में एकरूपता, गुणवत्ता, शुद्धता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और नीति निर्धारण हेतु विश्वसनीय समंक प्राप्त किया जा सके।	आयोग की अनुशंसा से सहमत।
23	10.39	नगरीय निकायों में अंकेक्षण हेतु शेष लंबित वर्षों की संख्या अत्यधिक है, अतः आयोग की अनुशंसा है कि "छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा विभाग द्वारा इस पर समयबद्ध कार्यवाही की जाए"।	आयोग की अनुशंसा से सहमत।
24	10.41	नगरीय निकायों में वर्तमान में 8510.43 करोड़ रू के 81,434 आपत्तियाँ निराकरण हेतु लंबित है, अतएव आयोग की अनुशंसा है कि "समयसीमा निर्धारित कर आपत्तियों का निराकरण किया जाए"।	आयोग की अनुशंसा से सहमत।
25	10.49	आयोग की अनुशंसा है कि "नगर पंचायतों तथा नगर पालिका परिषदों के स्वयं के स्रोतों से प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियों का 25 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया जाए"।	आयोग की अनुशंसा से सहमत।
26	10.55	आयोग की अनुशंसा है कि "राजस्व व्यय में स्थापना व्यय तथा संधारण व्यय का अनुपात निश्चित किया जाए और उसके आधार पर समस्त नगरीय निकायों का पर्यवेक्षण किया जाए"।	आयोग की अनुशंसा से सहमत।

प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्र.	प्रतिवेदन कंडिका क्र.	आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश)	राज्य शासन का निर्णय
(1)	(2)	(3)	(4)
27	12.8	नगरीय निकायों के लिये निर्धारित सेवा स्तरांकों, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों की मॉनिटरिंग के लिये सुझाये गये पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी सेवा स्तरांकों तथा राज्य वित्त आयोग छत्तीगगढ़ द्वारा प्रायोजित अध्ययन में सुझाये गये सेवा स्तरांकों के आधार पर, आयोग, ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली नागरिक सेवाओं के अनुश्रवण के लिये तालिका क्रमांक 12.3 के अनुसार सेवा स्तरांक निर्धारित करने की अनुशंसा करती है।	आयोग की अनुशंसा से सहमत।
28	12.27	राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि प्रदेश के नगरीय निकायों मे मल जल निकासी की सुविधा विकसित करने के लिये निकायों का अध्ययन कर, योजना बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों एवं विभागीय अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाये और समिति की अनुशंसा अनुसार, योजना का क्रियान्वयन तथा राशि की व्यवस्था, राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप से की जाये।	नल जल निकासी के संबंध में "स्वच्छ भारत मिशन योजना संचालित है। अतः पृथक से समिति बनाए जाने संबंधी आयोग की अनुशंसा से असहमत।
29	12.37	अतएव राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों की प्राप्तियों एवं व्यय तथा उनके द्वारा उपलब्ध करायी जा रही नागरिक सेवाओं का, निर्धारित बेंचमार्क के विरूद्ध नियमित अनुश्रवण किया जाये। बेंचमार्क के विरूद्ध, निकायों में नागरिक सुविधाओं की स्थिति संबंधी आंकड़े, वेबसाईट के माध्यम से सार्वजनिक भी किये जायें।	वित्त आयोग की अनुशंसा से सहमति प्रदान की जाती है। संबंधित विभाग अपने नियमों एवं पोर्टल पर आवश्यक संशोधन करें।
30	12.38	राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि आंकड़े प्राप्त करने के लिये पंचायत एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, राज्य वित्त आयोग के सॉफ्टवेयर एवं मोबाईल एप, का उपयोग किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर में स्थानीय निकायों द्वारा जानकारी फीड करने के पश्चात् पूर्व निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्राप्त होती है। दोनो संचालनालय द्वारा न्यूनतम प्रयास से आवश्यकतानुरूप, चिप्स (CHIPS) के माध्यम से सॉफ्टवेयर में सुधार करवाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर चिप्स के सर्वर में उपलब्ध है।	आयोग की अनुशंसा से सहमत।
31	12.45	राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि ग्राम पंचायतों को करारोपण हेतु प्रोत्साहित करने के लिये, ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत से जितनी आय प्राप्त की जाती है, उसके समतुल्य राशि, निष्पादन अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों को प्रदान की जाये।	आयोग की अनुशंसा से आंशिक रूप से सहमत। ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत से कर राजस्व आय में गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत से ऊपर जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उस अतिरिक्त वृद्धि के समतुल्य राशि, निष्पादन अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों को प्रदान की जाये।

प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्र.	प्रतिवेदन कंडिका क्र.	आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश)	राज्य शासन का निर्णय
(1)	(2)	(3)	(4)
32	12.49	अतएव राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि जिस प्रकार संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग से स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तथा खनिज विभाग से गौण खनिज रॉयल्टी की राशि संबंधी जानकारी प्राप्त कर अपने बजट में सम्मिलित करते हुये नगरीय निकायों को उसका अंतरण किया जाता है, उसी प्रकार पंचायत संचालनालय भी अतिरिक्त स्टॉम्प शुल्क तथा गौण खनिज रॉयल्टी की राशि संबंधी जानकारी संबंधित विभाग से प्राप्त कर अपने बजट में सम्मिलित करे और पंचायती राज संस्थाओं को अंतरण की कार्यवाही करे।	गौण खनिज की राशि का प्रावधान केवल खनिज विभाग के बजट में प्रावधानित है। पंचायत विभाग की भाँती नगरीय प्रशासन विभाग में भी स्टाम्प शुल्क के लिए व्यय की पृथक मद खोलना उचित होगा एवं पंजीयन में नगरीय निकायों के लिए अंतरण का शीर्ष खोलना उचित होगा। अतः आयोग की अनुशंसा से आंशिक रूप से सहमत।
33	12.50	राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि गौण खनिज रायल्टी की 33 प्रतिशत राशि जो पंचायत संचालनालय को दी जाती है, उसे संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की जाये।	चूँकि इस राशि का व्यय पंचायत विभाग में ही हो रहा है। अतः वित्त आयोग की अनुशंसा से असहमत।
34	12.51	राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि पंचायत विभाग द्वारा वित्त विभाग तथा राजस्व विभाग से समन्वय कर, संभावित भू–राजस्व उपकर की राशि का आंकलन करे तथा उसके समतुल्य राशि, ग्राम पंचायतों को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाये।	सैद्धान्तिक रूप से सहमत। वास्तविक आधार पर दिया जायेगा।
35	12.52	राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि अधिरोपित उपकर से संग्रहित राशि, जो ग्रामीण विकास निधि में जाती है, को तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायतों को वितरित किया जाये एवं नियमित रूप से इसका अंतरण प्रारंभ किया जाये। गत पांच वर्षो में उपकर की राशि तालिका क्र. 12.16 में दी गई है।	ग्रामीण विकास की योजनाओं में किए जाने वाले आबंटन हेतु इस निधि से प्राप्त राशि को सम्मिलित किया जायेगा। अलग–अलग से कोष (Silo) बनाने की आवश्यकता नहीं है। अतः आयोग की अनुशंसा से असहमत।
36	12.53	आयोग अनुशंसा करती है कि 10 प्रतिशत आबकारी अधिभार की राशि का नियमित अंतरण किया जाये।	आयोग की अनुशंसा से असहमत।
37	12.54 एवं 12.55	अतएव राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि नगरीय निकायों को उपरोक्त परिच्छेद 12.55 में (क्रमांक 3 से 8) 6 मदों में दिये जा रहे अनुदान के स्थान पर, उसके समतुल्य राशि, राज्य वस्तु एवं सेवा कर के 7.72 प्रतिशत राशि, समनुदेशित प्राप्तियों के रूप में प्रदान की जाये।	वर्तमान प्रक्रिया को ही जारी रखा जाए एवं शासन द्वारा समय सयम पर पुर्नविचार करके वृद्धि की जाये। आयोग की अनुशंसा से असहमति व्यक्त की जाती है।
38	12.58	राज्य वित्त की स्थिति को देखते हुये राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि राज्य के शुद्ध कर आय की, 10 प्रतिशत राशि का हस्तान्तरण, स्थानीय निकायों को किया जाये।	आयोग की अनुशंसा से असहमत।

<table>
<tr><th>प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्र.</th><th>प्रतिवेदन कंडिका क्र.</th><th>आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश)</th><th>राज्य शासन का निर्णय</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr>
<tr><td>39</td><td>12.61</td><td>राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि स्थानीय निकायों की आवश्यकता के इस अंतराल को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इसकी मांग, 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग से की जाये और राज्य शासन द्वारा इसे अपने ज्ञापन में सम्मिलित किया जाये।</td><td>आयोग की अनुशंसा से सहमत।</td></tr>
<tr><td>40</td><td>12.65</td><td>राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि कुल अनुशंसित राशि में से 70 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं तथा 30 प्रतिशत राशि नगरीय निकायों को अंतरित की जाये।</td><td>आयोग की अनुशंसा से सहमत।</td></tr>
<tr><td>41</td><td>12.73</td><td>राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि पंचायती राज संस्थाओं के मध्य अनुशंसित राशि का वितरण केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाये।</td><td>आयोग की अनुशंसा से सहमत।</td></tr>
<tr><td>42</td><td>12.74</td><td>राज्य वित्त आयोग यह भी अनुशंसा करती है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों का क्षेत्रफल अधिक और जनसंख्या कम होती है, इसलिये जनसंख्या मानदण्ड को अपनाने से अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को हानि न हो इसलिए सामान्य रूप से सभी ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राशि के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतो को, प्रति ग्राम पंचायत 2.5 लाख रूपये अतिरिक्त रूप से दी जाये।</td><td>आयोग की अनुशंसा से सहमत।</td></tr>
<tr><td>43</td><td>12.75</td><td>राज्य वित्त आयोग अनुशंसित राशि का नगरीय निकायों के मध्य क्षैतिजीय वितरण के लिये निम्नानुसार मानदण्डो की अनुशंसा करती है।
तालिका 12.25
नगरीय निकायों के मध्य क्षैतिजीय वितरण हेतु मानदण्ड
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>मानदण्ड</th><th>मानदण्ड का भार</th></tr>
<tr><td>1</td><td>जनसंख्या</td><td>90</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्षेत्र</td><td>10</td></tr>
</table></td><td>आयोग की अनुशंसा से सहमत।</td></tr>
<tr><td>44</td><td>12.77</td><td>राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को न्यागमन की जाने वाली राशि, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत जिला पंचायत के मध्य क्रमशः 85 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत के अनुपात में विभाजित की जाये।</td><td>आयोग की अनुशंसा से असहमत।</td></tr>
<tr><td>45</td><td>12.86</td><td>राज्य वित्त आयोग निम्नानुसार अनुशंसाएँ करता है:–1. आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिये अनुशंसित कुल राशि में से 30 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं को अनाबद्ध (Untide) प्रदान की जाये, जिससे कि पंचायती राज संस्थाएँ इस राशि का उपयोग, नागरिकों को मूलभूत नागरिक सेवाओं को प्रदान करने के लिये, उनके संधारण पर व्यय कर सकें। 2. अनुशंसित राशि का 60 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को पूंजीगत कार्यों के संपादन के लिये प्रदान किया जाय। यह राशि आबद्ध (Tied) हो सकती है। पूंजीगत मद में, आयोग द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन (स्वच्छता एवं साफ–सफाई), आंतरिक सड़क/गलियों का निर्माण, नाली निर्माण तथा स्ट्रीट लाइटिंग संबंधी कार्यो को ही पूंजीगत व्यय के अनुदान में सम्मिलित किया गया है। इन मदों के अंतर्गत व्यय करने के विस्तृत निर्देश विभाग द्वारा जारी किये जायें।</td><td>मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान अनाबद्ध है। क्रियान्वयन में होने वाली कठिनाइयों के दृष्टिगत आयोग की अनुशंसा अमान्य किया जाता है।</td></tr>
</table>

प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्र.	प्रतिवेदन कंडिका क्र.	आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश)	राज्य शासन का निर्णय
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि में, 5 प्रतिशत राशि से अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को, प्रति ग्राम पंचायत 2.50 लाख की दर से, अतिरिक्त राशि प्रदान की जाये। 4. अनुशंसित राशि में 5 प्रतिशत राशि से, ग्राम पंचायतों को स्वयं के स्रोत से आय बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किये जाने हेतु निष्पादन अनुदान के रूप मे दी जाये।	
46	12.88	राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि आयोग द्वारा अनुशंसित राशि का 30 प्रतिशत नगरीय निकायों के संधारण व्यय हेतु अनाबद्ध (Untide),65 प्रतिशत पूंजीगत कार्यों हेतु आबद्ध (Tide),तथा शेष 5 प्रतिशत निष्पादन अनुदान (Peformance Grant), के रूप में प्रदान की जाये।	आयोग की अनुशंसा से सहमत।
47	12.89	1. राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा तथा समनुदेशित प्राप्तियों की विभिन्न मदों के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायतों की आयोग द्वारा अनुशंसित सूत्र के अनुसार उनके हिस्से की राशि, इसी प्रायोजन के लिये खोले गये पृथक बैंक खाते में PFMS द्वारा सीधे हस्तान्तरित की जायें। 2. राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आबद्ध (Tide) एवं अनाबद्ध (Untide)राशि नियमानुसार व्यय हो इस हेतु आवश्यक विस्तृत दिशा–निर्देश संबंधित विभाग द्वारा जारी किये जायें तथा वित्तीय अनुशासन के लिये नियमों का कठोरता से पालन कराया जाये।	आयोग की अनुशंसा से सहमत।
48	12.91	राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जितनी राशि एक वर्ष में स्वयं के स्रोत से प्राप्त की जाती है उतनी समतुल्य राशि आगामी वर्ष में उस ग्राम पंचायत को निष्पादन अनुदान के रूप में प्रदान की जाये।	ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत से कर राजस्व आय में गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत से ऊपर जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उस अतिरिक्त वृद्धि के समतुल्य राशि, निष्पादन अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों को प्रदान की जाये। अतः आयोग की अनुशंसा से आंशिक रूप से सहमत।
49	12.93	राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि नगरीय निकायों द्वारा गत वर्ष की तुलना में, स्वयं के स्रोत से प्राप्तियों मे जितने राशि की वृद्धि की जाती है, उतनी राशि आगामी वर्ष में नगरीय निकाय को निष्पादन अनुदान के रूप में प्रदान की जाये।	नगरीय निकायों द्वारा स्वयं के स्रोत से कर राजस्व आय में गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत से ऊपर जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उस अतिरिक्त वृद्धि के समतुल्य राशि, निष्पादन अनुदान के रूप में नगरीय निकायों को प्रदान की जाये। अतः आयोग की अनुशंसा से आंशिक रूप से सहमत।

परिशिष्ट–1

प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्र.	प्रतिवेदन कंडिका क्र.	आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश)	राज्य शासन का निर्णय
(1)	(2)	(3)	(4)
50	12.94	राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल राशि में से, पांच प्रतिशत राशि अभिसरण मद में ग्राम पंचायतों को प्रदान की जाये। इस राशि का केवल अभिसरण हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा। पंचायत संचालनालय इसके उपयोग संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी करे।	प्रतिवेदन की परिच्छेद क्रमांक 12.86 के संदर्भ में अमान्य।
51	12.95	अतएव राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि पंचायत तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, प्रदेश के ऐसे धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों वाले ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों की पहचान करें, और उस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का आंकलन करे तथा आवश्यक राशि राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के रूप में संबंधित स्थानीय निकायों को दिया जाये।	पंचायतें अपने स्वयं के कर राजस्व से प्राप्त आय को जीपीडीपी में शामिल करते हुए उक्त कार्यो को करने हेतु स्वतंत्र हैं। आयोग की अनुशंसा से असहमत।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक : 12/01/2025

वित्त मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन